कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

।। ज्ञापन ।।

क्रमांक / 9750 / भू–बंटन / 2017 जांजगीर, दिनांक 19.6.17

प्रति,

प्रोजेक्ट मैनेजर,
छत्तीसगढ़ डब्ल्यु.आर.
ट्रांसमिशन लिमिटेड, चांपा
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

विषय :– 765 के.व्ही. सिंगल सरकीट ई.एच.टी. विद्युत लाईन चांपा, पुलिंग स्टेशन से धरमजयगढ़ पुलिंग स्टेशन तक निर्माण हेतु मार्ग में आने वाले राजस्व वन भूमि का गैर वानिकी उपभोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत्।

संदर्भ :– छ.ग. डब्लु.आर. ट्रांसमिशन लि. पावर फाईनेश कार्पोरेशन कंसलटिंग लि. नई दिल्ली, सेन्ट्रल गव्हरमेंट का पत्र कमांक CWTL/765/KV/CD/160 दिनांक 08.06.2017

विषयांतर्गत लेख है कि 765 के.व्ही. छ.ग. डब्लु.आर. ट्रांसमिशन लि. पावर फाईनेश कार्पोरेशन कंसलटिंग लि. नई दिल्ली, सेन्ट्रल गव्हरमेंट के द्वारा 765 के.व्ही. सिंगल सरकीट ई. एच.टी. विद्युत लाईन चांपा, पुलिंग स्टेशन से धरमजयगढ़ पुलिंग स्टेशन तक 51.018 कि.मी. विद्युत लाईन बिछाये जाने की स्वीकृति प्राप्त होने पर उपरोक्त प्रस्तावित विद्युत लाईन बिछाये जाने से प्रभावित तहसील अकलतरा, जांजगीर बलौदा के ग्राम अकलतरा में तागा, तिलाई, घनवा एवं जांजगीर में पुटपुरा, बनारी, बोड़सरा, सिवनी, कन्हाईबंद, सरखों तेन्दूभाठा, करमंदी व बलौदा तहसील में करमंदा, परसदा, पहरिया, बोकरामुड़ा, पुरेना, टिंगीपुर, खैजा, कंडंरा, गतवा, छीतापाली, पंतोरा में आने वाले छोटे–बड़े झाड़ के जंगल की भूमि आंशिक रूप से वन भूमि के रूप प्रभावित हो रही है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क.	कुल रकबा	उपयोग हेतु मांगी गई भूमि का रकबा हे.में	भूमि कर किस्म
1.	बलौदा	बोकरामुड़ा	762	7.778	0.079	बड़ी झाड़ का जंगल
2.		कंडरा	431	3.018	1.051	छोटी झाड़ का जंगल
3.		कंडरा	432	0.429	0.199	छोटी झाड़ का जंगल
4.		कंडरा	436	0.397	0.117	छोटी झाड़ का जंगल
5.		गतवा	419/1	10.117	1.615	छोटी झाड़ का जंगल
6		गतवा	108/1	6.844	1.873	छोटी झाड़ का जंगल
7		गतवा	80	4.856	0.793	छोटी झाड़ का जंगल
8		गतवा	15	6.7	1.102	छोटी झाड़ का जंगल
9		गतवा	14	10.061	1.156	छोटी झाड़ का जंगल
10		छितापाली	422/1	8.975	1.625	छोटी झाड़ का जंगल
		कुल योग	10	59.175	9.610	

आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त राजस्व व भूमि से चांपा (तागा) पुलिंग़ स्टेशन से धरमजयगढ़ (भैसमा) कोरबा पुलिंग स्टेशन 765 के.व्ही. सिंगल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के संचारण पथ के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। उक्त उपयोग की जाने वाली राजस्व वन भूमि छोटे–बड़े के जंगल को गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते है।

अतः इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत् अनुमति प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। वन संरक्षण अधिनियम –1980 के प्रावधानों के सम्यक पालन उपरांत वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत आवेदित स्थल से विद्युत पारेषण लाइन निर्माण हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 9751 / भू–बंटन / 2017 जांजगीर, दिनांक 19.6.17

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल को सूचनार्थ।

कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)